

कोविड-19 (COVID-19) के दौरान बाल देखभाल प्रदाताओं के लिए IDHS के राहत के प्रयास

कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी के दौरान बाल देखभाल के क्षेत्र ने जिस आर्थिक तनाव का अनुभव किया है उसकी प्रतिक्रिया में इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज, IDHS) ने निम्नलिखित वित्तीय राहतें प्रदान की हैं।

- **बाल देखभाल सहायता कार्यक्रम (चाइल्ड केयर असिस्टेंस प्रोग्राम, CCAP) प्रदाताओं के लिए (30 जून तक लागू):**
 - उपस्थिति से छूट – मार्च से जून तक के सेवा माह के लिए, IDHS ने देखभाल के सभी पात्र दिनों के लिए भुगतान किया है चाहे उपस्थिति कितनी भी रही हो, और बशर्ते कि प्रदाता यह प्रमाणित करते हों कि वे अपने स्टाफ़ को CCAP के लिए भुगतान देते रहेंगे। माह के दौरान उनका कार्यक्रम चाहे खुला रहा हो या बंद, यह भुगतान उपलब्ध है।
 - 30% दर वृद्धि – जो कार्यक्रम खुले रहे और उन्होंने आवश्यक कर्मियों के बच्चों को आपातकालीन बाल देखभाल प्रदान की, उन्हें IDHS ने CCAP की प्रारूपिक दर में 30% की वृद्धि करके भुगतान किया है।
 - आपातकालीन वृत्तिकाएं (स्टाइपेंड) – जो कार्यक्रम आपातकालीन बाल देखभाल प्रदान करने के लिए खुले रहे वे PPE/सफाई के सामान की लागत और स्टाफ़ की लागत की भरपाई में सहायता के लिए एक-बार-की वृत्तिका (स्टाइपेंड) पाने के पात्र थे। वृत्तिकाएं (स्टाइपेंड) \$750 से \$3,000 तक थीं।
- **CCAP क्लाइंट्स के लिए (30 जून तक लागू):**
 - जिन मामलों की CCAP पात्रता मार्च से जून के बीच समाप्त हो रही थी IDHS ने उन सभी मामलों की पात्रता अपने-आप छः माह के लिए बढ़ा दी।
 - लागत सहभाजन अनिवार्य करने वाले संघीय दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी मात/पिता/अभिभावक सह-भुगतानों को घटाकर \$1 कर दिया गया।
 - CCAP की पात्रता को बढ़ाकर ऐसे वरीय आवश्यक कर्मियों (प्रायोरिटी इसेंशियल वर्कर्स) को इसमें शामिल किया गया जिनके पास घर से कार्य करने का विकल्प नहीं था और बाल देखभाल के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं था। कार्यक्रम के उपयोग के लिए सह-भुगतान के रूप में उनसे \$1 की राशि ली गई है।
- **अगला चरण: बाल देखभाल की बहाली**
 - इस समय के दौरान बाल देखभाल के क्षेत्र को सहायता देने की हमारी वचनबद्धता को जारी रखते हुए, IDHS विव21 हेतु एक \$27 करोड़ का अनुदान कार्यक्रम विकसित करने के लिए DCEO के सहयोग के साथ कार्य कर रहा है। यह अनुदान दोबारा खुलने की अवधि, जो अधिक महंगी है क्योंकि उसमें CCAP बाज़ार से भी परे कई अन्य लागतों की पूर्ति



JB Pritzker, Governor

Grace B. Hou, Secretary

100 South Grand Avenue, East • Springfield, Illinois 62762
401 South Clinton Street • Chicago, Illinois 60607

शामिल है, के दौरान अनुज्ञप्त (लाइसेंस-प्राप्त) प्रदाताओं को अतिरिक्त राहत प्रदान करेगा। ऐसे सभी अनुज्ञप्त (लाइसेंस-प्राप्त) बाल देखभाल प्रदाता इस अतिरिक्त राहत के पात्र हैं जो यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि वे कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी के दौरान क्षमताओं के अत्यंत घट जाने के कारण व्यावसायिक बाधाओं का अनुभव कर रहे हैं।

- इच्छुक अनुज्ञप्त (लाइसेंस-प्राप्त) प्रदाताओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे एक [“आवेदन की अभिलाषा” सर्वेक्षण](#) पूरा करें। उक्त सर्वेक्षण 19 जून को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। अनुदान के लिए पूरा आवेदन 1 जुलाई के कुछ समय बाद लॉन्च होगा।